शिक्षा का अधिकार

सर्व शिक्षा अभियान
सब पढ़ें सब बढ़ें

राज्य शिक्षा केन्द्र

पुस्तक भवन, बी–विंग, अरेरा हिल्स, भोपाल—462 011
दूरभाष : (0755) 2768390, 91, 92, 94, 95 फैक्स : 2552363, 2760561

क्रमांक / राशिके / मानिट / 2012 / 2452 भोपाल, दिनांक– 9/3/12

प्रति,

1. जिला शिक्षा अधिकारी
   जिला – सागर
   मध्यप्रदेश

2. जिला परियोजना समन्वयक
   जिला शिक्षा केन्द्र
   जिला– सागर म.प्र.

विषय – विधान सभा तारांकित प्रश्न क्रमांक 4131 माननीय विधायक डॉ.(श्रीमती) विनोद पंथी

विषयांतर्गत लेख है कि विधान सभा तारांकित प्रश्न क्रमांक 4131 आपकी ओर संलग्न कर भेजा जा रहा है। अतः प्रश्न का उत्तर तैयार कर दिनांक 11.3.2012 तक राज्य शिक्षा केन्द्र में विधान कक्ष एवं मानिट कक्ष को ई–मेल monit.rsk2011@gmail.com पर भेजना सुनिश्चित करें।

संचालक, सीमेट एवं
नोडल ऑफीसर, मानिट,

पृ.क्रमांक / राशिके / मानिट / 2011 / 2453 भोपाल, दिनांक– 9.3.12

प्रतिलिपि–

1. ICT कक्ष समन्वयक की ओर सर्वशिक्षा अभियान की बेवसाईट अपलोड हेतु प्रेषित।

संचालक, सीमेट एवं
नोडल ऑफीसर, मानिट,

मध्यप्रदेश विधान सभा सचिवालय

प्रश्न

उत्तर भेजने का अंतिम दिनांक 15/03/2012

वर्ग 5 बैठक का दिनांक 21/03/2012 विभाग का नाम स्कूल शिक्षा

विषय:- शिक्षकों से गैरशिक्षकीय कार्य कराने के संबंध में ।

(तारांकित प्रश्न क्रमांक 4131) डॉ.(श्रीमती) विनोद पंथी

क्या स्कूल शिक्षा, मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि -

(क) क्या म.प्र. शासन स्कूल शिक्षा विभाग मंत्रालय भोपाल के आदेश क्र. एफ. 77-47/2011/20 2 भोपाल दिनांक 19.1.2012 के अनुसार शिक्षकों को गैर शैक्षणिक कार्य में न लगाने के आदेश जारी किये गये हैं यदि हां तो क्या विभाग/प्रशासन इन आदेशों का पालन कर रहा है ?

(ख) क्या इस आदेश में शिक्षकों के शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 27 में प्रावधान अन्तर्गत वर्णित कार्यों के अलावा कार्य कराये जाने का भी प्रावधान है ?

(ग) यदि नहीं है तो सागर जिले के बीना विधान सभा क्षेत्र के बीना विकासखण्ड में उल्लिखित आदेश एवं नियम के विपरीत शिक्षकों से जबकि वर्तमान में वह जातिगत जनगणना में पहले से ही कार्य कर रहे थे, जिससे भी शैक्षणिक कार्य प्रभावित हो रहा था, के पश्चात् भी विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी कार्यालय बीना से जारी आदेश अनुसार नसबन्दी लक्ष्य पूर्ति हेतु, मानसिक रूप से दबाव बनाते हुये शिक्षकों को लक्ष्य दम्पति परिवार का नाम दिया गया ? जो आदेश के प्रतिकूल है ?

(घ) यदि प्रश्नांश (क) अनुसार विभागीय आदेश है तो फिर विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी द्वारा किस वरिष्ठ अधिकारी के आदेश से नियमों के विपरीत कार्य करने हेतु शिक्षकों को बाध्य किया गया ? कि लक्ष्य पूरा न होने पर संबंधित शिक्षकों के विरुद्ध कार्यवाही की जावेगी ? के आशय का नियम विरुद्ध किये गये आदेश पर संबंधित अधिकारी के विरुद्ध विभाग क्या कार्यवाही करेगा ? बतावें ?

J.D. - सागर
DEO सागर
A.D. शिक्षा

स्वीकृत

RSK